नम्बर [illegible]
अहकाम ज[illegible]
की तामील [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहाला)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

[illegible]/[illegible] /14	तारीख रजू 27.03.2014	तारीख निर्णय 11.05.2018

उनवान

1. मनोहर लाल पुत्र श्री नानक चन्द निवासी ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.14, 1362 रकबा 0.03 हैक्ट0 वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। आराजी खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.14 हैक्ट0 मृतक वीरभान पुत्र कालूराम खत्री देह अलोटी गैरखातेदार(कस्टोडियन) तथ खसरा नम्बर 1362 रकबा 0.03 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा का अलोटी गैरखातेदार(कस्टोडियन) राजस्व अभिलेख में दर्ज वो अंकित चला आ रहा है। वीरभान मिन वादी का संगा चचेरा भाई था। मिन वादी ही वीरभान की सेवा श्रशुता की गई तथा मृत्यु होने पर समस्त क्रिया कर्म मिन वादी द्वारा ही किये गये तथा अन्तिम समय में वीरभान मिन वादी के पास ही रहा और मिन वादी वीरभान के समय से ही उक्त आराजी रकबे [illegible] काबिज दाखिल चला आ रहा है। मिन वादी अपने चचेरे भाई वीरभान की मृत्यु हो जाने पर [illegible] की आराजी का अपने आपको गैरखातेदार दर्ज कराने का विधिक अधिकारी हैं। मिन [illegible] 2013 को प्रतिवादी के यहां पर जाकर वीरभान की मृत्यु हो जाने पर उसका [illegible] होने पर मिन वादी को वीरभान के हिस्से की आराजी पर गैरखातेदार [illegible] करने पर प्रतिवादी ने इसके लिए सक्षम न्यायालय से अहकाम जारी करने [illegible] न्यायालय में पेश करना लाजिम आया है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री घोषणात्मक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी बिलद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.04 हैक्ट0 का सम्पूर्ण रकबा तथा 1362 रकबा 0.03 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर की बाबत मिन वादी के चचेरे भाई वीरभान के लाऔलाद फोत हो जाने के कारण मिन वादी एक मात्र विधिक वारिस होने से मिन वादी को बहैसियत गैरखातेदार दर्ज राजस्व अभिलेख कर वीरभान का नाम कलमजन किये जाने का अहकाम जारी किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि वादी द्वारा विवादित भूमि पर दर्ज गैरखातेदार वीरभान के वारिस होने का कोई साक्ष्य शामिल पत्रावली नही किया है। सक्षम न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश ही विधिक वारिस घोषित कर सकती है। अतः वाद खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहाला में दिनांक 11.05.2018 को पेश हुई। वादी उपस्थित। वादी को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। जिससे प्रतीत होता है कि वीरभान वादी का संगा चचेरा भाई था। वादी द्वारा ही वीरभान की सेवा श्रशुता की गई तथा मृत्यु होने पर समस्त क्रिया कर्म वादी द्वारा ही किये गये तथा अन्तिम समय में वीरभान वादी के पास ही रहा और वादी वीरभान के समय से ही उक्त आराजी रकबे पर काबिज दाखिल चला आ रहा है। वादी अपने चचेरे भाई वीरभान की मृत्यु हो जाने पर उसके हिस्से की आराजी का अपने आपको गैरखातेदार दर्ज कराने का विधिक अधिकारी हैं। उक्त आराजी पर आज भी वादी ही काबिज है। राजस्व लोक अदालत शिविर में मौजीज व्यक्तियों से जानकारी करने पर बतया कि वीरभान की मृत्यु हो जाने पर उसका एक मात्र विधिक वारिस वादी ही है। ऐसी स्थिति में वादी को विधिक वारिस मानते हुए वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.04 हैक्ट0 का सम्पूर्ण रकबा

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

तथा 1362 रकबा 0.03 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को विधिक वारिस होने से बहैसियत गैरखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि कागजातमाल से वीरभान पुत्र कालूराम का नाम कलमजन कर वादी के नाम बहैसियत काबिज काश्तकार गैरखातेदार का अंकन करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत बहाला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

दि० - 28.2.19 : —
प्रा०पत्र. 151 आ०सी. स्वीकार.
निर्णय में अंकित ख०न० 1342 वाके ग्राम
बहाला का रकबा 0.04 हे० के स्थान पर रकबा —
0.14 हैक्टे पढ़ा जावे। शेष अंकन यथावत रहेगें।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहाला)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/उ0 /14	27.03.2014	11.05.2018

उनवान

1. मनोहर लाल पुत्र श्री नानक चन्द निवासी ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ जिला अलवर।

..... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1342 रकबा 0.04 हैक्ट0 का सम्पूर्ण रकबा तथा 1362 रकबा 0.03 हैक्ट0 का 1/2 हिस्सा वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को विधिक वारिस होने से बहैसियत गैरखातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि कागजातमाल से वीरभान पुत्र कालूराम का नाम कलमजन कर वादी के नाम बहैसियत काबिज काश्तकार गैरखातेदार का अंकन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)